# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 29 / 2025 अन्तर्गत धारा 88, 40, 188, RT Act.

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| सुगनकंवर पुत्री करनीदान पत्नी नरपतदान<br>जाति चारण, निवासी गूंगा<br>तहसील शिव, जिला बाड़मेर<br>हाल निवासी बिराई<br>तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर | | 1. रविदान उर्फ रवेशदान पुत्र करनीदान<br>2. कुमेरदान पुत्र करनीदान 3. उगमकंवर पत्नी सैणीदान<br>4. आवड़दान पुत्र सगतीदान 5. चन्द्रपाल पुत्र हेतुदान<br>6. हिंगलाजदान पुत्र हेतुदान 7. सिरे कंवर पत्नी हेतुदान<br>8. इन्द्रदान पुत्र विजयदान 9. ईश्वरसिंह पुत्र जीवणदान<br>10. उगमदान पुत्र जेतदान 11. उतमदान पुत्र जीवणदान<br>12. उदयकंवर पत्नी भंवरदान 13. कैलाशदान पुत्र मुरारदान<br>14. कैलाशदान पुत्र जेतदान 15. चन्दनदान पुत्र जीवणदान<br>16. जीवणदान पुत्र शंकरदान 17. दुर्गादान पुत्र मुरारदान<br>18. नारायणदान पुत्र रतनदान 19. पृथ्वीराज पुत्र भंवरदान<br>20. पाबुदान पुत्र रामलाल के कायम मुकाम<br>20.1 गजदान पुत्र पाबुदान<br>20.2 गणपतदान पुत्र पाबुदान<br>20.3 खीमदान पुत्र सैणीदान<br>20.4 महेशदान पुत्र सैणीदान<br>21. भूरदान पुत्र हरदान 22. शेषकरण पुत्र भंवरदान<br>23. शिवदान पुत्र जेतदान 24. सर्वेश्वरदान पुत्र रतनदान<br>25. सवाईदान पुत्र जवारदान 26. सोमदान पुत्र जेतदान<br>27. मुरारदान पुत्र गोविन्ददान जाति चारण<br>निवासी गूंगा, तहसील शिव, जिला बाड़मेर<br>28. शाखा प्रबंधक, भूमि विकास बैंक बालोतरा शाखा शिव<br>29. तहसीलदार शिव |

उपस्थित :– अधिवक्ता वादीनी – श्री ईश्वरसिंह भाटी।

## –:: निर्णय ::–

दिनांक :– 09.02.2026

वादीनी के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा गूंगा, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 450, 421, 355, 45 रकबा क्रमशः 2.3148, 5.1638, 3.4479, 5.4390 हैक्टेयर तथा मौजा बरियाड़ा, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 636 / 550 रकबा 4.8562 हैक्टेयर की आयी हुई है। उक्त खातेदारी खेत वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को विरासत में प्राप्त हुए है, जो स्व. करनीदान के नाम से दर्ज थे। स्व. करनीदान का देहांत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा जानबूझकर विरासती नामांतरकरण में वादीनी का नाम खातेदारी मे दर्ज नही करवाया गया। उक्त विवादित आराजी पैतृक रूप से प्राप्त होने से वादग्रस्त आराजी मे करनीदान के हिस्से मे प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ वादीनी का भी बहक बराबर हक हिस्सा बनता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत [illegible] पुत्री / पौत्र / पौत्री का जन्म से अधिकार होता है। उक्त वादग्रस्त आराजी मे वादीनी का [illegible] संख्या 1 से 3 के साथ बराबर हक हिस्सान निहित है, वादीनी जिसकी खातेद[illegible] उक्त विवादित आराजी के मौजा गूंगा के खाता संख्या 24 [illegible] खाता संख्या 25 में 1 / 4 तथा मौजा बरियाडा के खाता संख्या 2 में 1 / 4 खातेदारी हिस्सा बनता है। अतः उक्त [illegible] पैतृक सहदायिकी खातेदारी में वादीनी द्वारा स्वयं को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ सहख[illegible]घोषित करवाने की अधिकारीणी होने से उक्त वाद खातेदारी घोषणा हेतु पेश किया गया है।

वाद पंजीयन किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 28 के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.02.20 12:14:49 IST
Reason: SelfAttested

वादीनी द्वारा अपने बयान कलमबद्ध करवाये और दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान जमाबंदियां, विरासती नामांतरकरण व अन्य दस्तोवज पेश किये गये। वादीनी की ओर से साक्ष्य स्वरूप बयान गवाह शपथ पत्र व वादीनी के पिता स्व. श्री करणीदान के वारिशान के संबंध में 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र पेश किया गया।

वादीनी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वाद के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी में वादीनी का स्व0 करणीदान की जाइंदा संतान होने से उसकी संपति में विरासती हक हिस्सा होने एवं वादग्रस्त आराजी पैतृक सहदायिकी संपति होने से वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर तदनुसार वादीनी को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ सहखातेदार घोषित किये जाने का आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने वाद के तथ्यों पर वादीनी अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। चूंकि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार स्व0 करनीदान के विधिक वारिसान है। पूर्व खातेदार स्व. करनीदान के फौत होने पर उसके फौतगी नामांतरकरण में उनके समस्त विधिक वारिशान को बहक बराबर का सहखातेदार घोषित किया जाना था, किन्तु उसकी जाइंदा पुत्री का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं करवाया गया। चूंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के तहत पैतृक व सहदायिकी संपति में उसके पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री का जन्मतः अधिकार निहित होता है। वर्तमान जमाबंदी में वादीनी का नाम दर्ज नहीं है, जबकि वादीनी अधिवक्ता की ओर से पेश दस्तावेज तथा साक्ष्य शपथ पत्र से वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 पूर्व पुरूष स्व0 करनीदान के वारिश होना साबित है। चूंकि उक्त वाद में वादीनी अधिवक्ता द्वारा वादीनी को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ सहखातेदार घोषित करने की इस्तदुआ चाही गई है। वादीनी स्वयं द्वारा भी न्यायालय में उपस्थित होकर बयान गवाह शपथ पत्र पेश कर स्वयं को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ सहखातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त स्थिति में वादग्रस्त आराजी पैतृक संपति होने तथा वादीनी पैतृक संपति में अपना हक हिस्सा निर्धारित करवाने की विधिक अधिकारिणी होने से वादीनी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ सहखातेदार घोषित करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा गूंगा, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 450, 421, 355, 45 रकबा क्रमशः 2.3148, 5.1638, 3.4479, 5.4390 हैक्टेयर तथा मौजा बरियाड़ा, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 636/550 रकबा 4.8562 हैक्टेयर भूमि में वादीनी को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ बहक बराबर सहखातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। उक्त निर्णय से बैंक हित अप्रभावित रहेंगे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक [illegible] सुनाया गया।

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.02.20 12:14:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव (बाड़मेर)